>

Title: Regarding reservation to Maratha community-laid.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महाराष्ट्र राज्य में मराठा समाज काफी बड़ी संख्या में मौजूद है और मराठा समाज लढवय्या के तौर पर जाना जाता रहा है । लेकिन आज मराठा समाज विकट स्थिति से जूझ रहा है तथा कई साल से यह समाज आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया है । इस कारण मराठाओं में विषमता निर्माण हो गयी है । मराठा समाज पर हो रहे अन्याय दूर करने एवं उन्हें न्याय दिलाने हेतु मराठा समाज को आरक्षण मिलना जरूरी है । सन 1902 में महाराष्ट्र कोल्हापुर के छात्रपति राजर्षि साहू महाराज ने सर्वप्रथम वंचित समाज के लोगों का आरक्षण दिलवाया । इसमें उन्होंने मराठा समाज को भी आरक्षण दिया था । लेकिन अब मराठा समाज आरक्षण से वंचित है । मराठा आरक्षण की मांग काफी लंबे समय से हो रही है उसके लिए यह समाज आरक्षण हेतु लड़ रहा है । सन् 2018 में तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा मराठा समाज को दिया गया आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है । लेकिन अभी संविधानिक संशोधन कर मराठा समाज को आरक्षण दिया जा सकता है । इस हेतु राज्य शासन मागासवर्ग आयोग के माध्यम से मराठा समाज के मागासवर्गीय अहवाल तैयार कर लेगी और राज्यपाल राष्ट्रपति जी से निवेदन कर समुचित अहवाल उन्हें भेज देंगे । राष्ट्रपति द्वारा यह अहवाल राष्ट्रीय मागास आयोग के पास आने के बाद यह अहवाल संसद में पेश होगा, इसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी होगी वह वे नियमानुसार पूर्ण करेगी ऐसा मेरा विश्वास है और मैं आशा करता हूँ कि केन्द्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी नियमानुसार पूर्ण करेगी ।

जय महाराष्ट्र ।